इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 9 अप्रैल, 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

मौद्रिक नीति ----------1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ---------- ----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं ----------2
विनियामकों के कथन / अर्थव्यवस्था ----------3
ग्रामीण बैंकिंग / सूक्ष्मवित्त ---------- 4
नयी नियुक्तिया / बीमा ----------4
विदेशी मुद्रा / उत्पाद एवं गठजोड ---------- 5
बासेल -III - पूंजी विनियमन ----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ---------- --------6
महत्वपूर्ण घोषणाएं ----------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य - 2014-15 : 1 अप्रैल, 2014

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (Repo) दर 8% पर अपरिवर्तित है।
- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4% पर अपरिवर्तित है।
- 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद के तहत प्रदान की जाने वाली चलनिधि बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.5% से बढ़ाकर 0.75% कर दी गई है तथा चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन एक-दिवसीय पुनर्खरीद दरों के तहत प्रदान की जाने वाली चलनिधि बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.5% से तत्काल प्रभाव से घटाकर 0.25% कर दी गई है।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत प्रति-पुनर्खरीद (Reverse repo) दर 7.0% पर अपरिवर्तित है और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) तथा बैंक दर 9.0% पर रखी गई है।
- कुल मिला कर पूरे वर्ष के लिए चालू खाते के घाटे (CAD) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2% रहने की आशा है। हालांकि, हाल के समय (निकट अतीत) में आंशिक रूप से भागीदार देशों में मांग में आई कमी और उसके साथ ही साथ पेट्रोलियम उत्पादों तथा (तेल एवं सोने के आयात में कीमतों में आई कमी द्वारा समायोजित) रत्नों एवं आभूषणों के निर्यात की कीमतों में कमी के कारण निर्यात वृद्धि धीमी पड़ गई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन बैंकों से शुरुआत करते हुए जो अधिक तैयार थे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (RBS) की प्रणाली अपना ली है। चरण 1 के पूरे होने से प्राप्त अनुभव तथा बैंकों से जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण ढांचे के सम्बन्ध में प्राप्त प्रति-सूचना के आधार पर उक्त ढांचे को परिष्कृत किया जा रहा है। बैंकों को चरण II में उनके जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण प्रणाली में स्तानांतरण को सुगम बनाने के लिए उनकी जोखिम प्रबन्धन संराना, प्रथाओं, सम्बन्धित प्रक्रियाओं तथा प्रबन्धन सूचना प्रणालियों का मूल्यांकन करने की सलाह भी दी जा रही है।

- फरवरी, 2014 में निर्यात लेनदेनों की प्रभावी निगरानी, अपेक्षाकृत सरल अन्वेषण एवं समाधान के लिए निर्यात डाटा संसाधन एवं निगरानी (EDPMS) नामक एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत की गई। इन आंकड़ों की संलग्न हितधारकों / एजेन्सियों के बीच हिस्सेदारी की जाएगी तथा इससे निर्यात और उसके साथ ही साथ उससे (निर्यात से) सम्बन्धित धोखाधड़ियों के सम्बन्ध में अधिक सामयिक एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

नये बैंक लाइसेंस

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25 आकांक्षियों के क्षेत्र से बैंकों का गठन करने हेतु मूलभूत संरचना विकास वित्त कम्पनी (IDFC) और बंधन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। प्रसंगवश, मूलभूत संरचना विकास वित्त कम्पनी (IDFC) और बंधन, दोनों ही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां हैं। जहां मुंबई स्थित मूलभूत संरचना विकास वित्त कम्पनी (IDFC) एक मूलभूत संरचना वित्त कम्पनी के रूप में वर्गीकृत है, वहीं कोलकाता स्थित बंधन एक सूक्ष्मवित्त संस्था है। मूलभूत संरचना विकास वित्त कम्पनी (IDFC) और बंधन की सिफारिश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय परामर्शी समिति द्वारा "सिद्धांतत:" अनुमोदन हेतु उपयुक्त के रूप में की गई थी।

2005 के पहले वाले नोटों का विनिमय अगले वर्ष तक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 से पहले मुद्रित गंदे नोटों की बदली करने की समय सीमा 1 जनवरी, 2015 तक बढ़ा दी है। उसने बैंकों को इन नोटों के विनिमय को पूरे मूल्य हेतु और जनता को किसी प्रकार की असुविधा पहुंचाए बिना करने की सुविधा प्रदान किए जाने की भी सलाह दी है।

वित्त मंत्रालय अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप का इच्छुक

वित्त मंत्रालय यह चाहता है कि अस्थिरता को कम करने, रुपये के मज़बूत होने पर सुरक्षित भण्डार निर्मित करने तथा इस उपाय का उपयोग मुद्रा के कमजोर पड़ने पर उसे अवलम्ब प्रदान करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार में अधिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करे। 61 के स्तर से भी नीचे चले जाने, भारतीय रिज़र्व बैंक से सुरक्षित भण्डार निर्मित करने हेतु डालर खरीदने की मांग किए जाने के बाद जनवरी के अंत में रुपया प्रति डालर 63.11 के स्तर से मजबूत हो गया है। सात माह के विस्तार के बाद भारत का निर्यात फरवरी में संकुचित हो गया, जिसके लिए देश के अनेक निर्यातक प्रतिस्पर्धियों को उनकी मुद्राओं मे मूल्यवृद्धि परिलक्षित होने के बावजूद आंशिक रूप से मजबूत रुपये को जिम्मेदार ठहराया गया।

प्रतिभूतिकरण फर्मों के लिए नये मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कम्पनियों को उक्त योजना के अन्तर्गत अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं (QIBs) से जुटाई गई निधियों के एक भाग का उपयोग उनके द्वारा अभिगृहीत वित्तीय आस्तियों को पुनर्संरचित करने हेतु करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इन निधियों का उपयोग कुछेक शर्तों के अध्ययीन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 500 करोड़ रुपये से अधिक की अभिगृहीत आस्तियों वाली कम्पनियां इन निधियों को ऋण के रूप में जारी (float) कर सकती हैं। पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली निधियों की सीमा इस योजना के तहत जुटाई गई निधियों के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बासेल-III मानदंड कार्यान्वित करने की समय सीमा 2019 तक विस्तारित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल-III पूंजी विनियमन के पूर्णत: कार्यान्वयन की समयावधि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दी है। बैंकों को बासेल-III पूंजी विनियमन के पूर्णत: कार्यान्वयन के लिए अंतर राष्ट्रीय स्तर पर सहमत समयावधि के भीतर कुछ समय सीमा की जरूरत हो सकती है। तदनुसार, उक्त संक्रमण अवधि 31 मार्च, 2018 से 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 तक कर दी गई है। बासेल-III बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबन्धन को सुदृढ़ बनाने,के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण सम्बन्धी बासेल समिति द्वारा तैयार किए गए सुधारों का एक व्यापक सेट है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बासेल-III पूंजी विनियमनों के अनुसार पूंजी संरक्षण भण्डार (CCB) मार्च, 2016 के अंत (पूर्ववर्ती मार्च, 2015 के अंत के समक्ष) से कार्यान्वित किया जाएगा। फलत: ये विनियमन मार्च, 2019 तक पूर्णत: कार्यान्वित कर दिए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यूनतम पूंजी अनुपातों से सम्बन्धित उन संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं को भी संशोधित कर दिया है, जिन्हें बैंकों के लिए उनकी जोखिम-भारित आस्तियों (अथवा ऋणों) के प्रतिशत के रूप में बनाए रखना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों / आयातकों के लिए विदेशी मुद्रा प्रतिरक्षण के नियम आसान किए

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्यातकों और आयातकों के संभाव्य ऋण जोखिमों के मुद्रा जोखिम के प्रतिरक्षण (Hedging) से सम्बन्धित कुछेक प्रतिबंधों को शिथिल कर दिए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें अपेक्षाकृत अधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्राप्त होगा। आयातकों के लिए पात्र सीमा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वास्तविक आयात पण्यावर्त या पिछले वर्ष के वास्तविक आयात / निर्यात का 25%, इनमें से जो भी अधिक हो, परिकलित की गई है। पात्र सीमा के 75% से अधिक की संविदाएं मोचनीय (deliverable) आधार पर होंगी और उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। निरसन की अवस्था में, लाभ अथवा हानि निर्यातक / आयातक द्वारा वहन किए जाएंगे तथा उन्हें जैसा कि इसके पूर्व अनिवार्य था, ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।

पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक रुपया खाते खोल सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (RFPIs) को बैंकों में विशेष अनिवासी रुपया खाते (SNRR) और विदेशी मुद्रा खाते (FCA) खोलने का पात्र बना दिया है। प्र तिभूतियों में प्रामाणिक निवेश के लिए वे किसी विदेशी मुद्रा खाते से वर्तमान बाज़ार दर पर विशेष अनिवासी रुपया खाते में निधियां भी अंतरित कर सकते हैं। यह निर्णय भारतीय प्रतिभूति और वि निमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मोर्चे पर दिशानिर्देशों की घोषणा किए जाने की पृष्ठभूमि में लिया गया है। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए निवेश सीमा कुल चुकता इक्विटी पूंजी की 10% (वैयक्तिक) अथवा कुल चुकता इक्विटी पूंजी की 24% (समग्र) या 10% व्यक्तिगत अथवा किसी भारतीय कम्पनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य की 24% (समग्र) होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत संमिश्र सेक्टर-वार सीमा होने पर पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश की सीमाएं समग्र सेक्टर-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा के भीतर होंगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा अदला-बदलियों के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य : भारतीय ि रज़र्व बैंक का पैनल

काउंटर पर किए जाने वाले विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों के लेनदेन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल ने यह सिफारिश की है कि विदेशी मुद्रा वायदा और अदला-बदलियों (swaps) में अंतर-बैंक व्यापार का समाशोधन अनिवार्य रूप से केन्द्रीय प्रतिपक्ष (CCP) प्लेटफार्म पर किया जाना चाहिए। श्री आर. गांधी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता वाले उक्त पैनल के अनुसार बाज़ार के सहभागियों के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्ष एक केन्द्रीय हब के रूप में कार्य करता है। वह चूक प्रबन्धन व्यवस्था की प्रभावशीलता में सुधार ला सकता है तथा परिचालनात्मक सुधारों एवं कार्यकुशलताओं में बढ़ोतरी कर सकता है। ब्याज दर अदला-बदली (IRS) के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्ष के उपयोग की तुलना में केन्द्रीय प्रतिपक्ष आधारित समाशोधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पहले से विचाराधीन है।

अनिवासी जमाराशियां 43% बढ़ीं, किन्तु बैंकों मे उल्लास का अभाव

भारतीय बैंकों का बकाया अनिवासी भारतीय (NRI) जमा संविभाग 43.5% से बढ़कर जनवरी के अंत में वर्षानुवर्ष 99.15 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। हालांकि बैंकरों का कहना है कि यह वृ द्धि बहुत अधिक समय तक नहीं टिकेगी। 31 जनवरी के दिन अनिवासी विदेशी रुपया जमारा शियां 49.8 बिलियन थीं, जो वर्षानुवर्ष 8% अधिक थीं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह घोषणा

किए जाने के बाद कि बैंक अब उनकी घरेलू जमाराशियों से अधिक ब्याज दरें नहीं प्रदान कर सकते, अनिवासी जमा उत्पाद में ग्राहक की रुचि नहीं रह गई। बकाया विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमाराशियां 31 दिसम्बर से 287 मिलियन अमरीकी डालर बढ़कर 40.7 बिलियन अमरीकी डालर रहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवम्बर में विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों के लिए अदला-बदली सुविधा बंद कर दी थी, जिसके द्वारा इस उत्पाद को संग्रहीत करने हेतु बैंकों को प्रोत्साहन समाप्त कर दिया था। सितम्बर और नवम्बर के बीच भारतीय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विविध सुविधाओं के माध्यम से 34 बिलियन अमरीकी डालर तक की राशि जुटाने में समर्थ हुए थे। बताया जाता है कि इन निधियों का बहुलांश विदेशी मुद्रा अनिवासी सुविधा (window) के माध्यम से आया था। बकाया अनिवासी साधारण (NRO) जमाराशियां 12.5% घटकर 8.64 बिलियन अमरीकी डालर रह गईं।

जमाराशियां 15.5% बढ़ीं, ऋण वृद्धि से आगे रहने का क्रम जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 7 मार्च को वर्षानुवर्ष 15.55 % बढ़कर 7,692,309 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने के परिणामस्वरूप बैंक जमाराशियों के ऋण वृद्धि से आगे रहने का क्रम जारी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां 6,657,109 करोड़ रुपये थीं । इस बीच ऋण में वर्षानुवर्ष 14.65% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5,178,577 करोड़ रुपये के मुकाबले 7 मार्च को 5,937,249 करोड़ रुपये थे। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए ऋण वृद्धि से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान 15% है, जबकि जमा के लिए 14% है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि सम्बन्धी उपायों से अल्पावधिक दरों मे कमी लाने में सहायता

बैंकों पर कारोबारी लक्ष्य प्राप्त करने के वर्षान्त वाले दबाव के बावजूद बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के कतिपय चैनल खोलने के बाद अल्पावधिक कारपोरेट थोक जमा दरों में उल्लेखनीय रुप से कमी आई है। बैंक तिमाही के अंत में अपने कारोबारी लक्ष्यों को प्रपा्त करने हेतु निधियों के लिए आपाधापी करते हैं, इसप्रकार ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि हो जाती है। इसलिए, ऋण और जमा से सम्बन्धित संख्याएं मार्च के अंत में कृत्रिम रूप से अधिक दिखाई देती हैं और उसके बाद अंतत: उस समय घट जाती हैं जब नया वित्त वर्ष आरंभ होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 7 मार्च तक वर्षानुवर्ष जमा वृद्धि एक वर्ष पहले की 13.1% की तुलना में 15.6% थी, ाबकि ऋण वृद्धि पूर्ववर्ती 15.4% की तुलना में 14.7% थी।

विनियामकों के कथन

स्वर्ण-आयात हेतु 80 : 20 वाले नियम में कोई परिवर्तन नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने और अधिक बैंकों को सोने का आयात करने की अनुमति दिए जाने से सम्बन्धित निर्णय का बचाव किया है। उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि अधिक प्रतिस्पर्धियों की उपस्थिति से लागतों में कमी आएगी तथा चालू खाते के घाटे (CAD) में सुधार ला कर देश की बाह्य शेषराशियों को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। 14 अप्रैल, 2013 को लागू की गई 80 : 20 योजना के तहत नामित एजेन्सियां इस शर्त पर सोने का आयात कर सकती हैं कि पोतलदान का 20% निर्यातित किया जाएगा तथा शेष बची मात्रा घरेलू उपयोग के लिए रखी जाएगी। डॉ. चक्रवर्ती ने कहा है कि सोने के आयात को अभिशासित करने वाली नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामक संरचना में सुधार की ताक में

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक देश के लिए आवश्यक नयी विनियामक संराना के बारे में आत्ममंथन कर रहा है। कई एक आंतरिक समितियां आवश्यक पर्यवेक्षण के स्तर, विनियमन कितना सीवन रहित होना ाहिए, उसी प्रकार के कार्यों वाली संस्थाओं के विनियमन के लिए आवश्यक मध्यस्थता के स्तर सहित मुद्दों पर विचार कर रही हैं। मानव संसाधन का कोटि-उन्नयन किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामकों तथा बैंकों में उच्चतर स्तर के अधिकारियों के लिए अधिक प्रशिक्षण संस्थानों और परीक्षाओं पर विचार कर रहा है। निदेशकों के लिए 'योग्य एवं उपयुक्त' मानदंडों में व्यवसाय की मूलभूत जानकारी, वार्षिक रिपोर्टों, तुलनपत्रों तथा जोखिम प्रबन्धन पर उनकी पकड़ का समावेश है।

मुद्रास्फीति का लक्ष्यांकन नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने इस बात का खुलासा किया है कि हमने अभी तक उर्जित पटेल समिति के मुद्रास्फीति को लक्ष्यांकित करने वाले सुझाव पर कार्रवाई नहीं की है। जहां तक कीमतों को नियंत्रित रखने हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को आधार चिन्ह के रूप में अपनाने का प्रश्न है, हमें संभवतया थोक मूल्य सूचकांक के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हम उर्जित पटेल रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच-पड़ताल कर रहे हैं तथा एक मौद्रिक नीति समिति स्थापित किए जाने और इस बात का निर्णय करने के लिए कि मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए सहित इसके कुछेक पहलुओं पर सरकार के साथ चर्चा करेंगे। उर्जित पटेल रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मुख्य आंकड़ा केन्द्र के रूप में वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से हटने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है।

अर्थव्यवस्था

विदेशी उधारों में 49% की कमी

मंद पड़ती अर्थव्यवस्था, कमतर निवेश अवसरों तथा उच्च उधार लागत का सामना कर रही भारतीय कम्पनियां जनवरी से डालर उधार लेने से विरत रही हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार उधार लागत में वृद्धि के कारण कम्पनियों द्वारा विदेशी उधारों में जनवरी में 49% की गिरावट दर्ज हुई। कम्पनियों ने विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के माध्यम से 1.8 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए, जो एक वर्ष पहले जुटाए गए 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से बहुत कम है । अक्तूबर - दिसम्बर के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के सरकार के 5% के पूर्वानुमान के मुकाबले 4.7% के कम स्तर पर रह जाने के परिणामस्वरूप घरेलू अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई है। कम्पनियों से नये निवेश के अभाव को निरूपित करते हुए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि भी घट गई है ।

खुदरा मुद्रास्फीति अब भी अधिक

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समति (PMEAC) के अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन के अनुसार समस्यामूलक खुदरा मुद्रास्फीति 1 अप्रैल को आगामी मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा में भारतीय ि रज़र्व बैंक की नीतिगत कार्रवाई की आयोजना में शामिल हो सकती है। यद्यपि कीमते जिस दिशा में जा रही हैं, वह उत्साहजनक है, 8% की खुदरा मुद्रास्फीति अब भी बहुत अधिक है। मुद्रास्फीति में और कमी से मौद्रिक प्राधिकारियों को उनकी नीतिगत कार्रवाइयों के लिए अधिक आसानी होगी ।

ग्रामीण बैंकिंग

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सार्वानिक क्षेत्र के बैंकों से अकि कासा ुटाए

वित्तीय समावेशन के महान साधन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) ने अधिक ालू बात खाते (कासा) सृ ति करने में कामयाबी हासिल की है। दिसम्बर, 2013 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में कासा का अंश 54.3% था। कुछ वर्ष पहले तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी निधियों की लागत कम करने हेतु कासा पर अत्यधिक निर्भर करते थे। हालांकि, पिछले 2 -3 वर्षों से बड़े बैंक भी उनके कासा अंश को बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण जमारा शियां ला पाना कठिन हो गया है। कासा का उच्च अंश यह सूचित करता है कि बैंक कम लागत पर निधियां जुटाने मे समर्थ हैं, क्योंकि इन जमाराशियों पर सावधि जमाराशियों की तुलना में काफी कम (और कभी-कभी तो शून्य) दरों पर ब्याज देना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उच्चतर

कासा अनुपात से यह पता ालता है कि इन बैंकों ने स्थानीय ग्राहकों का विश्वास आर्जित कर लिया है।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्था के 52% बढ़े

भारतभर में कार्यरत 43 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN) द्वारा एक रिपोर्ट का कहना है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा संवितरित ऋण अक्तूबर - दिसम्बर 2013 की अवधि में 52% बढ़े। उक्त रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि उसमें स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा दिए गए सूक्ष्म-ऋणों को छोड़कर उस क्षेत्र के कुल ऋण संविभाग के 85% का समावेश है। एक वर्ष पहले के 6.120 करोड़ रुपये से (अक्तूबर - दिसम्बर के दौरान) कुल ऋण संवितरण में 9,281 करोड़ रुपये की यह वृद्धि उनके तुलनात्मक रूप से उच्चतर मूल्य-निर्धारण के बावजूद पूरे देश में इन छोटे मूल्य वाले ऋणों की मांग में सुदृढ़ वृद्धि का द्योतक है। पिछली तिमाही की तुलना में इन 43 कम्पनियों द्वारा संवितरित ऋणों की रकम 21% बढ़ी। कोई सूक्ष्म वित्त कम्पनी विशिष्ट रूप से कम मूल्य वाले ऋण बैंकों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले 10 - 12% की तुलना में 22- 24% ब्याज पर संवितरित करती है।

स्वविनियामक संगठन सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर बोझ नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि स्वविनियामक संगठन (SROs) सूक्ष्म वित्त संस्था क्षेत्र पर बोझ नहीं हैं। वास्तव में भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि स्वविनियामक संगठन उन अधिकांश मामलों को संभालें, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक संभालता है। शीर्ष बैंक ने बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त वाले दर्जे का पात्र बनने हेतु पालन की जाने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए परिवार की वार्षिक आय की मात्रा और ऋण सीमा विनिर्दिष्ट कर रखी है। ऋण ऐसे उधारकर्ता को प्रदान किया जाना है जिसकी घरेलू वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 रुपये तथा गैर-ग्रामीण क्षेत्रो में 1.2 लाख रुपये से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, ऋण पहले चक्र में 35,000 रुपये तथा बाद वाले चक्रों में 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक यह मांग करते रहे हैं कि ये सीमाएं बढ़ा दी जाएं।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री आर. गांधी	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री राकेश सेठी	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इलाहाबाद बैंक
डॉ. राम एस. संगापुरे	कार्यपालक निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक
श्री आर.के. टक्कर	कार्यपालक निदेशक,

बीमा

फरवरी में बीमाकर्ताओं की सामान्य बीमा प्रीमियम आय 5% बढ़ी

सार्वानिक क्षेत्र की ाार कम्पनियों सहित सामान्य बीमा कम्पनियों की प्रीमियम आय फरवरी में 5% बढ़कर 6,066 करोड़ रुपये हो गई। सार्वानिक क्षेत्र की कम्पनियों -नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया अश्योरेंस, ओरियेन्टल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की सकल प्रीमियम वसूली में वर्षानुवर्ष 2.6% की वृद्धि परिलक्षित हुई तथा वे फरवरी में 3,395 करोड़ रुपये हो गईं। सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा वसूल किए गए कुल प्रीमियम में इन चारों कम्पनियों की हिस्सेदारी लगभग 56% रही। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल -फरवरी, 2013 के दौरान सामान्य बीमा बाज़ार में 28 प्रतिस्पर्धियों की सकल आय 12.84% बढ़कर 69,833 करोड़ रुपये हो गई।

इर्डा सामूहिक पॉलिसियों के लिए भारी छूट पर विचार करेगा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) सामूहिक बीमा पॉलिसियों में प्रीमियम इमदादीकरण के मुद्दे का निराकरण करने हेतु उपाय आरंभ कर रहा है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को सामूहिक पॉलिसियों को दी जाने वाली अनुचित छूटों के बारे में क तिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इसप्रकार वह चाहता है कि बीमा कम्पनियां इस प्रथा को बंद कर दें। सामूहिक सुरक्षा का चयन करने वाले लोगों को उन व्यक्तियों की कीमत पर बहुत कम प्रीमियम की सुविधा प्राप्त हो रही है, जिन्हें उच्चतर प्रीमियमों का भुगतान करना होगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सामान्य बीमा कम्पनियों के शीर्ष निकाय सामान्य बीमा परिषद (GI Council) से यह जानने के लिए कि कम्पनियां अपने ग्राहकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती हैं सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वह इस मुद्दे के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा तथा व्यक्तियों एवं समूहों के मामले में प्रीमियम प्रभारों के प्रतिरूप का पर विचार करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये विकृतियां व्यापक हैं।

बीमा कम्पनियों के बैंकों में निवेश

बीमा कम्पनियों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अधिक निधियां निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि सरकार उसके द्वारा संचालित उधारदाताओं में अतिरिक्त पूंजी लगाना चाहती है । सरकार ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) से बैंकिंग क्षेत्र में बीमा कम्पनियों की निवेश जोखिम (Exposure) सीमा 25% से बढ़ाकर 30% करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बासेल-II मानदंडों को पूरा करने हेतु लगभग 4.15

लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें से इक्विटी पूंजी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये होगी, जबकि गैर-इक्विटी पूंजी लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये होगी।

इर्डा नें अग्रिम प्रीमियम संग्रहण की अनुमति दी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन ने कहा है कि अब जीवन बीमाकर्ता नियत तिथि से तीन महीने के अग्रिम प्रीमियम को अग्रिम रूप से संग्रहीत कर सकेंगे। अग्रिम रूप से संग्रहीत प्रीमियम को प्रीमियम की नियत तिथि को ही समायोजित किया जाना चाहिए।

विदेशी मुद्रा

अप्रैल, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.55810	0.587	1.048	1.475	1.487
जीबीपी	0.91125	1.4886.	1.8235	2.0670	2.2905
यूरो	0.54671	0.493	0.640	0.820	1.011
जापानी येन	0.34429	0.198	0.220	0.269	0.340
कनाडाई डालर	1.47000	1.403	1.613	1.858	2.086
आस्ट्रेलियाई डालर	2.71300	2.958	3.225	3.530	3.740
स्विस फ्रैंक	0.19440	0.108	0.214	0.354	0.508
डैनिश क्रोन	0.58300	0.6990	0.8660	1.0630	1.2660
न्यूजीलैंड डालर	3.64500	4.088	4.363	4.538	4.670
स्वीडिश क्रोन	0.91750	1.110	1.335	1.595	1.825
सिंगापुर डालर	0.36300	0.680	1.090	1.498	1.820
हांगकांग डालर	0.50000	0.810	1.230	1.650	1.980
एमवाईआर	3.49000	3.610	3.780	3.880	3.990

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	21 मार्च, 2014 के दिन	21 मार्च, 2014 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	18, 252.2	2 98,,635. 5
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	16, 567.7	2 71, 394. 4
ख) सोना	1, 302, 1	20,978. 0
ग) विशेष आहरण अधिकार	272, 4	4, 461.8
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	110.0	1, 801 .3

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा भण्डार में 1.09 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि

विदेशी मुद्रा आस्तियों में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 1.088 बिलियन अमरीकी डालर का उछाल आया जिससे वे बढ़ कर 295.45 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गईं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में प्रारक्षित निधियों में 954.6 मिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी हुई थी और वे 294.36 बिलियन अमरीकी डालर हो गई थीं। समग्र प्रारक्षित निधियों की एक प्रमुख अंश विदेशी मुद्रा आस्तियों (FCAs) में 1.07 बिलियन की वृद्धि हुई और वे 7 मार्च को समाप्त सप्ताह में 267.97 बिलियन अमरीकी डालर हो गईं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में उसके प्रारक्षित भण्डार में रखी गई यूरो, पौंड और येन जैसी गैर-अमरीकी मुद्राओं की मूल्यवृद्धि / के मूल्यह्रास शामिल होते हैं।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
फेडरल बैंक लिमिटेड	बेंगलूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन	नम्मा मेट्रो रीच 3, 3ए और 3बी पर स्वचालित किराया वसूली के लिए। फेडरल बैंक सम्बन्धित अनुभागोंपांच र्व के बीएमआरसीएल, टेंडर के लिए स्वचालित किराया वसूली से सम्बन्धित सभी वित्तीय लरनदेनों का संचालन करेगा।
इलाहाबाद बैंक	स्टार एग्रीवेयर हाउसिंग एण्ड कोलैटरल मैनेजमेंट ि ल.	संपार्श्विक प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करने हेतु गपदाम कम्पनियों के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अधीन किसानों को गोदाम रसीदों के समक्ष उपज ऋण प्रदान करने की योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु।

कारपोरेशन बैंक	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया	बैंक-रहित शहरी क्षेत्रों में वित्तीय रूप से अपवर्जित लोगों की जरूरतें पूरी करने हेतु।
भारतीय रिज़र्व बैंक	एचटीसी ग्लोबल सर्विसेज	निर्यात डाटा संसाधन एं प्रबन्धन प्रणाली (EDPNS) विकसित करने हेतु।

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमश:)

बासेल-III पर चर्चा को जारी रखते हुए हम निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहे हैं :
बंधक द्वारा प्रतिभूत निवासीय सम्पत्तियों से सम्बन्धित दावों पर जोखिम-भारित आस्तियां निम्नानुसार होंगी :

ऋण की श्रेणी	मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात (%)	जोखिम-भार (%)
क) वैयक्तिक आवास ऋण		
(i) 20 लाख रुपये तक	90	50
(ii) 20 लाख रुपये से अधिक तथा 75 लाख रुपये तक	80	50
(iii) 75 लाख रुपये से अधिक	75	75
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - निवासीय आवास (CRE-RH)	लागू नहीं	75
ग) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (CRE)	लागू नहीं	100

टिप्पणी : मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात स्वीकृति के सभी नये मामलों में निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होने चाहिए। मूल्य की तुलना में ऋण का अनुपात किसी कारण से वर्तमान में निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक होने की स्थिति में उसे सीमा के भीतर लाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
तीसरी रिहायशी इकाई के बाद किसी व्यक्ति के प्रति बैंक की अनाश्रयता (एक्सपोजर) को भी वाणिज्यिक स्थावर संपदा माना जाएगा।

- पुनर्संरचित आवास ऋणों को निर्धारित जोखिम-भार के अलावा 25% के अतिरिक्त जोखिम-भार से जोखिम-भारित किया जाना चाहिए।
- मध्यवर्ती संस्थाओं को पुन: उधार देने हेतु ऋण / अनाश्रयताएं निवासीय सम्पत्ति द्वारा प्रतिभूत दावों में समावेश की पात्र नहीं होंगी, किन्तु उन्हें कम्पनियों पर दावों अथवा विनियामक खुदरा संविभाग में शामिल दावों, जैसी भी स्थिति हो, माना जाएगा।

- अनाश्रयता (एक्सपोजर) द्वारा समर्थित बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (MBS) में निवेश प्रतिभूतिकरण अनाश्रयताओं (एक्सपोजर) से सम्बन्धित दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होंगे।

अनर्जक आस्तियां (NPAs)

अनर्जक आस्ति (किसी अर्हताप्राप्त निवासीय बंधक ऋण को छोड़कर) के अप्रतिभूत हिस्से के सम्बन्ध में जोखिम-भार विशिष्ट प्रावधानों (आंशिक बट्टे सहित) को घटाकर निम्नानुसार होंगे :

विशिष्ट प्रावधान	जोखिम-भार (%)
बकाये के 20% से कम	150
बकाये का कम से कम 20%	100
बकाये का कम से कम 50%	50

प्रतिभूत अनर्जक आस्ति हेतु जोखिम-भार की प्रयोज्यता, प्रावधानों के बकाया रकम के 15% होने पर प्रावधानों को घटाकर 100% है।

निवासीय सम्पत्ति द्वारा प्रतिभूत अनर्जक आस्ति गृह ऋण दावों पर जोखिम-भार विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर 10% होगा। विशिष्ट प्रावधानों के कम से कम 20% , किन्तु बकाये के 50% से कम होने पर जोखिम-भार (निवल विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर) 75% होगा तथा विशिष्ट प्रावधानों के 50% या उससे अधिक होने पर लागू होने वाला जोखिम-भार 50% है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

भूल-सुधार

आईआईबीएफ विज़न - मार्च, 2014 अंक, पृष्ठ 8 पर नयी संहिता बैंक लेनदेनों को सुरक्षित रख सकती है मद के अधीन : "हालांकि, नयी संहिता का ग्राहकों की साख गणना पर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बैंकों द्वारा ऋण आसूचना कम्पनियों (CICs) को चुकौती से सम्बन्धित आंकड़े भेजे जाने के बारे में एक अस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है।" यह एक गलतबयानी है।

अतएव, पाठकों से अनुरोध है कि उपर्युक्त कथन के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :

'बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं के ऋण खातों के आंकडे ऋण आसूचना कम्पनियों (CICs) को भेजना एक विनियामक अपेक्षा है तथा बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) ने किसी अपेक्षा को निर्धारित / आशोधित या परिवर्तित नहीं किया है। परिच्छेद 5.1 के अनुसार 2014 की संहिता में बैंकों से मात्र यह अपेक्षित है कि वे ग्राहकों को ऋण आसूचना कम्पनियों की भूमिका और बैंक ऋण आसूचना कम्पनियों से जो सूचना प्राप्त करते हैं उसका ऋण प्राप्त करने में ग्राहक की योग्यता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा दें। उक्त संहिता अपने आप में ऋण आसूचना कम्पनियों के समक्ष बैंकों पर कोई अतिरिक्त उत्तरदायित्व नहीं थोपती और इसप्रकार वह किसी की साख गणना को प्रभावित नहीं करती।'

वित्तीय क्षेत्र की बुनियासी जानकारी

अवमानक आस्तियां

अवमानक आस्ति वह होगी जो 12 माह से कम अथवा उसके समतुल्य अवधि से अनर्जक रही हो। इस प्रकार की आस्ति में ऐसी सुनिर्धारित ऋणगत कमजोरियां मौजूद होंगी जो ऋण के परिसमापन को संकट में डाल देती हैं तथा इस आशय की सुस्पष्ट संभावना वाली होती हैं कि इन कमियों को सुधारे न जाने पर बैंकों को कुछ हानि वहन करनी पड़ेगी।

शब्दावली

केन्द्रीय प्रतिपक्ष (CCP)

केन्द्रीय प्रतिपक्ष (CCP) वह समाशोधन गृह होता है जो अपने आपको प्रत्येक विक्रेता के लिए क्रेता तथा प्रत्येक क्रेता के लिए विक्रेता बन कर एक या उससे अधिक वित्तीय बाज़ारों में खरीदी-बेची जाने वाली संविदाओं के बीच सन्निविष्ट कर देता है और उसके द्वारा खुली संविदाओं के कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित करता है। कोई केन्द्रीय प्रतिपक्ष बाज़ार के सहभागियों के साथ नवीकरण, एक खुले प्रस्ताव वाली प्रणाली या कानूनी तौर पर बाध्यकर किसी अन्य व्यवस्था के माध्यम से लेनदेनों के लिए प्रतिपक्ष बन जाता है। पूंजीगत ढांचे के उद्देश्य से , केन्द्रीय प्रतिपक्ष एक वित्तीय संस्था होता है।

संस्थान की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा
जेएआईआईबी / सीएआईआईबी / सीएआईआईबी चयनात्मक परीक्षाओं में प्रमाणपत्र

I. मई / जून, 2014 परीक्षाओं के लिए

वर्तमान में संस्थान 276 केन्द्रों में जेएआईआईबी / सीएआईआईबी परीक्षाएं संचालित करता है। यह निर्णय लिया गया है कि :

1. जेएआईआईबी / सीएआईआईबी / सीएआईआईबी चयनात्मक परीक्षाएं 236 केन्द्रों (सूची वेब साइट पर उपलब्ध) में आन-लाइन मोड में संचालित की जाएंगी। इन केन्द्रों में कागज और पेन्सिल अर्थात् आफ-लाइन मोड वाला कोई विकल्प नहीं उपलब्ध होगा।
2. शेष 40 केन्द्रों (सूची वेब साइट पर उपलब्ध) में, जहां अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है, संस्थान मई / जून, 2014 की परीक्षाओं के लिए कागज और पेन्सिल अर्थात् आफ-लाइन मोड परीक्षा की सुविधा प्रदान करेगा। इन केन्द्रों में आन-लाइन मोड वाला कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। (अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेब साइट www.iibf.org.in के मूल (होम) पृष्ठ पर परीक्षा के सम्बन्ध में शीर्षक के तहत दी गई सूचना देखें।

II. प्रवेश पत्र

मई / जून परीक्षाओं से संस्थान प्रवेश पत्र (मुद्रित प्रति) डाक के जरिये नहीं भेजेगा, अपितु इसे अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से भेजेगा तथा इसकी प्राप्ति के लिए संस्थान के पास सही ई-मेल पते का होना अनिवार्य है। वर्तमान प्रथा के अनुसार प्रवेश पत्र परीक्षा से एक सप्ताह पहले संस्थान की वेब साइट (www.iibf.org.in फर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध होंगे।

III.आन-लाइन परीक्षा के बारे में अनुदेश / सूचना

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आन-लाइन परीक्षाओं के संचालन के बारे में अवगत होने के लिए संस्थान की वेब साइट के मूल पृष्ठ पर **"संस्थान की आन-लाइन / ऑफ-लाइन परीक्षाओं के बारे में अनुदेश / सूचना"** शीर्षक के तहत उपलब्ध उपर्युक्त का अध्ययन कर लें।

IV. आन-लाइन / बहु-विकल्पी प्रश्न (एमसीक्यू) मोड में डिप्लोमा परीक्षाएं

अब तक संस्थान बैंकरों के लिए वर्णनात्मक स्वरूप में 4 डिप्लोमा परीक्षाएं यथा- 1. बैंकिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा 2. खज़ाना, निवेश और जोखिम प्रबन्धन में डिप्लोमा 3. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा 4. पण्य व्युत्पन्नियों (Commodity Derivatives) में डिप्लोमा परीक्षाएं ऑफ-लाइन मोड में संचालित करता था। विभिन्न क्षेत्रों से इन बहु-विकल्पी (वस्तुनिष्ठ प्रकार के) प्रश्नों वाली परीक्षाओं को आन-लाइन मोड में संचालित करने हेतु अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। अब ये बहु-विकल्पी (वस्तुनिष्ठ प्रकार के) प्रश्नों वाली डिप्लोमा परीक्षाएं मई / जून 2014 की परीक्षाओं से आन-लाइन मोड में संचालित की जाएंगी तथा उनके लिए ऑफ-लाइन मोड उपलब्ध नहीं होगा। (अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेब साइट www.iibf.org.in के मूल (होम) पृष्ठ पर परीक्षा के सम्बन्ध में शीर्षक के तहत दी गई सूचना देखें।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अप्रैल, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	ऋण मूल्यांकन पर 9वां कार्यक्रम (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम)	21 से 26 अप्रैल, 2014
2	आवास वित्त पर 5वां कार्यक्रम	28 से 30 अप्रैल, 2014
3	अपने ग्राक को जानिए / धन शोधन निवारण / वित्तीय आतंकवाद का मुकाबला पर 4था कार्यक्रम	28 से 30 अप्रैल, 2014

मार्च, 2014 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन कार्यक्रम	3 से 7 मार्च, 2014 दिल्ली और चेन्नै में
2	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन कार्यक्रम	10 से 14 मार्च, 2014 मुंबई में
3	प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 से 7 मार्च, 2014 एनआईबीएम, पुणे में

संस्थान समाचार

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह

बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम (11वें बैच) का दीक्षांत समारोह संस्थान के मुंबई स्थित लीडरशिप सेन्टरमें 10 मार्च, 2014 को आयोजित किया गया। केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.के. दुबे मुख्य अतिथि थे। सभी सफल अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाणपत्र दिए गए। उक्त दीक्षांत समारोह में काफी बड़ी संख्या में बैंकर उपस्थित रहे।

प्रमाणित खज़ाना व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत

संस्थान ने निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न (डेरिवरटिव्स) संघ (FIMMDA), मुंबई के सहयोग से 8 मार्च, 2014 से प्रमाणित खज़ाना व्यावसायिक (Certified Treasury Professional) पाठ्यक्रम नामक एक नये पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने जयपुर में आयोजित 15वें फिम्मडा सम्मेलन के दौरान इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पहली परीक्षा अक्तूबर, 2014 में आयोजित की जाएगी।

जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ तथा सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए संपर्क कक्षाओं का आयोजन करेगा। संस्थान अनुपालन और बैंक प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रम के लिए चुनिंदा केन्द्रों में संपर्क कक्षाओं का भी आयोजन करेगा। अधिक जानकारी के लिए वेब साइट देखें।

वीडियो व्याख्यान और ई-शिक्षण

संस्थान ने जेएआईआईबी / डीबीएण्डएफ तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए वीडियो व्याख्यान देना आरंभ कर दिया है। ई-शिक्षण को अब पहली बार सीएआईआईबी के दो चयनात्मक विषयों तक भी विस्तारित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. deKex।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

114.00
104.00
94.00
84.00
74.00

64.00
54.00

03/03/14 04/03/14 07/03/14 10/03/14 11/03/14 14/03/14 18/03/14 21/03/14 24/03/14 26/03/14 28/03/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- पिछले अगस्त में डालर के समक्ष 68.84 के ऐतिहासिक न्यून स्तर पर पहुंच कर 19वीं को यह पिछले बंद वाले स्तर से 0.39% बढ़कर 60.95 पर बंद हुआ।
- 20वीं को इस चिंता के आधार पर कि अमरीकी केन्द्रीय बैंक ब्याज दरों को निवेशकों के लिए स्वदेश में निकटवर्ती स्थलों पर निधियां जमा करने की दृष्टि से उसे अधिक आकर्षक बनाने हेतु बढ़ाना आरंभ करेगा, रुपया डालर के समक्ष 39 पैसे खिसक कर 61.34 पर बंद हुआ।
- 25वीं को रुपया अमरीकी डालर के समक्ष 60.43 के सात माह के उच्च स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि विदेशी निधियां इस उम्मीद पर बाज़ार में मुद्रा पहुंचाती रहीं कि आगामी चुनावों से एक स्थिर और व्यवसायोनुकूल सरकार का गठन होगा।
- बढ़ती इक्विटियों के अनुरूप 26वीं को स्थिर पूंजी अन्तर्वाह के कारण रुपया 34 पैसे मज़बूत हो कर डालर के समक्ष आठ माह के उच्च स्तर पर बंद हुआ।
- 28वीं को मुद्रा में डालर के समक्ष वृद्धि दर्ज हुई, क्योंकि सुधारों की आशा में तथा चीनी प्रधानमंत्री के वृद्धि के अनुरूप नीतियों के वचन पर दलाल स्ट्रीट भारी तेजी आई।
- माह के दौरान रुपये में सभी मुद्राओं के समक्ष सभी स्तरों पर मुळ्यवृद्धि हुई, जो अमरीकी डालर, स्टर्लिंग, यूरो और जापानी येन के समक्ष क्रमश: 2.85%, 3.54%, 3.20% और 3.57% रही।

भारित औसत मांग दरें

10.00
9.50
9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
01/03/14 05/03/14 06/03/14 07/03/14 10/03/14 12/03/14 14/03/14 15/03/14 20/03/14 24/03/14 26/03/14 27/03/14 28/03/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2013

- मांग दरें 7.5% के न्यून स्तर से आरंभ हुईं और 9.57 % के उच्च स्तर पर बंद हुईं।
- माह के दौरान बैंकों से वित्त वर्ष के दौरान तुलनपत्र प्रबन्धन हेतु बढ़ी मांग के कारण चलनिधि की स्थिति कठोर बनी रही।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

23000
22500
22000
21500
21000
20500
20000

03/03/14 04/03/14 06/03/14 10/03/14 13/03/14 19/03/14 22/03/14 25/03/14 26/03/14 28/03/14 31/03/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

आईआईबीएफ विज़न अप्रैल, 2014